कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी (रोहतास)

E-mail :- eeindrapuriwrd@gmail.com

पत्रांक : 153 इन्द्रपुरी/

दिनांक :- 12-02-2024

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 01/2023–24

1 विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी (रोहतास)

2 निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि :– 20.02.2024 से 22.02.2024 तक (कार्यालय अवधि में)

3 निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– 23.02.2024 अपराह्न 3.00 बजे तक।

4 तकनीकी बिड खुलने की तिथि एवं समय :– 23.02.2024 अपराह्न 3.30 बजे।

5 निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय :– 1. कार्यपालक अभियंता आयोजन एवं मोनेटरिंग प्रमंडल, डिहरी ।
2. अधीक्षण अभियंता, सोन बराज अंचल, डिहरी।
3. कार्यपालक अभियंता, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी।

6. निविदा प्रपत्र प्राप्ति का स्थान :– उपरोक्त सभी कार्यालय।

7. वित्तीय बिड खोलने की तिथि समय एवं स्थान :– सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायगी।

8. कार्य की विवरणी :–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटायी नहीं जायेगी	कार्य समाप्ति की अवधि
1	सिंचाई कॉलोनी डिहरी अंतर्गत आवासों का मरम्मत एवं संपोषण कार्य।	4.71	9500.00	750.00	15 दिन
2	सिंचाई कॉलोनी इन्द्रपुरी अंतर्गत निरीक्षण भवन के मरम्मत कार्य।	4.89	9800.00	750.00	15 दिन
3	सिंचाई कॉलोनी इन्द्रपुरी अंतर्गत आवासों, डी0जी0 सेट, बराज आदि का मरम्मत एवं संपोषण कार्य।	7.37	14800.00	1250.00	20 दिन
4	सिंचाई कॉलोनी इन्द्रपुरी अंतर्गत निरीक्षण भवन के बाउण्ड्रीवाल के उच्चीकरण एवं पेंटिंग कार्य।	7.79	15600.00	1250.00	20 दिन

9. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्तें:– नियम, अर्हता, अग्रधन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री स्थान से सम्पर्क किया जा सकता है।

आवश्यक शर्तें :–

1. पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 13589 (एस0) दिनांक 13.12.2011 के द्वारा बिहार ठीकेदारी नियमावली के अनुसार श्रेणी–4 के अन्तर्गत रोहतास जिला में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होगें।
2. निविदा दो अलग–अलग मुहर बन्द लिफाफे मे भरकर देना होगा जिसमे लिफाफा संख्या–1 पर तकनीकी बिड तथा लिफाफा संख्या–2 पर वित्तीय बिड साफ–साफ अक्षरों मे लिखा हुआ होना चाहिए। दोनो मुहरबंद लिफाफे (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड) एक बड़े लिफाफे मे भर कर सील करने के पश्चात् जमा करना होगा।
3. अग्रधन के रूप में बचत प्रमाण–पत्र (8वा निर्गम) एवं पोस्ट ऑफिस में जमा एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा पासबुक/राष्ट्रीयकृत बैंक का सावधि जमा कार्यपालक अभियंता, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी के नाम से विधिवत् प्रतिज्ञित ही मान्य होगा।
4. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में वृद्धि या कमी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
5. संवेदक को (क) समुचित श्रेणी में निबंधन संबंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति (ख) देय समुचित अग्रधन की राशि (ग) निम्न आशय का शपथ–पत्र मूल में (निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर सहित) जमा करना है। शपथ–पत्र का प्रारूप इस प्रकार है :– " I, the undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/ forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing"
6. परिमाण विपत्र नगद भुगतान/बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। परिमाण विपत्र का मूल्य नहीं लौटाया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिहरी शाखा में भुगतेय होना चाहिए।
7. किसी भी निविदा या सभी कार्यो की निविदाओं को बिना कारण बताये रदद् करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
8. निविदा के तत्संबंधित शर्तो के संबंध में प्रमंडलीय कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निविदादाता निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल से अवगत हो लेगें अन्यथा इस संदर्भ में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. कार्य आंवटित होने पर एकरारनामा F2- प्रपत्र पर क्लॉज 23 को छोड़कर किया जायेगा।
10. यदि निविदा प्राप्ति की तिथि को किसी कारण वश अवकाश हो जाता है तो निविदा प्राप्ति अगले कार्य दिवस को पूर्व की भांति समयानुसार होगा।
11. सशर्त निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. सिर्फ तकनीकी बिड को ही उपर लिखित कंड़िका चार के अनुसार तिथि एवं समय पर खोला जाएगा, तकनीकी बिड में योग्य माने जाने वाले संवेदको का ही वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जायेगा। तकनीकी बिड में अयोग्य पाये जाने वाले संवेदको का वित्तीय बिड वाला लिफाफा बिना खोले ही लौटा दिया जायेगा।
13. निविदादाता द्वारा विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/अधीक्षण अभियंता, सोन बराज अंचल, डिहरी अथवा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के किसी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

14. सफल निविदादाता को सभी कार्य निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्तो एवं स्वीकृत कार्य के अनुसार करना मान्य होगा।
15. मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती आपूर्तिकर्त्ता/कार्य संवदको के विपत्र से नियमानुकूल की जायेगी।
16. आवंटन उपलब्ध रहने पर किये गये कार्य का भुगतान किया जायेगा, इस संबंध मे कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
17. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के सूचना पट पर देखा जा सकता है।
18. किसी भी परिस्थिति में कार्य गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर कार्य की गुणवत्ता में कमी पायी जाने पर संबंधित निविदादाता इसके लिए उत्तरदायी होगें और उनके उपर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
19. किसी भी परिस्थिती में एकरारनामा संपादित करने के बाद कार्य को किसी पट्टे पर देने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अगर ऐसा पाया जाता है तो निविदादाता पर विधि सम्मत कार्रवाई एवं विभाग में काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।
20. निविदा प्रपत्र वर्णित मूल्य से नगद/बैंक ड्राफ्ट जो रा ट्रीयकृत बैंको द्वारा निर्गत कार्यपालक अभियंता, सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी को भूगतेय के रुप में जमा करने पर प्राप्त किया जायेगा।
21. संवेदक के विपत्र से सेस, G.S.T., I.T. एवं जमानत की राशि की कटौती नियमानुसार की जायगी।
22. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के दरों के समान होने पर लाटरी विधि से कार्य का आंवटन किया जायगा।
23. वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.)का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
24. वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा दर अंकित किया जायेगा, जो दशमलव के दो अंक तक मान्य होगा।
25. विभागीय निर्माण सामाग्री उपलब्ध रहने पर संवेदक को निर्गत किया जा सकता है, जिसके विरुद्ध निर्धारित दर पर विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।
26. निविदा डालने के पूर्व संवेदक स्थल निरीक्षण कर लें। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
27. संदेहास्पद कार्य करने वाले एवं जिनके विरुद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है, ऐसे संबेदकों की निविदा मान्य नही होगी।
28. चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
29. निविदा के साथ अग्रधन की राशि दो प्रतिशत के दर से तथा एकरारनामा के समय तीन प्रतिशत की दर से देना अनिवार्य होगा। तथा शेष 5 प्रतिशत के दर से विपत्र से जमानत की राशि कटौती की जायेगी।
30. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4439 (E) दिनांक 17.07.2023 के क्रम में पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या–447(S) दिनांक 16.01.2020 –सह–पठित ज्ञापांक 448 (S) दिनांक 16.01.2020 तथा जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 536 दिनांक 18.07.2023 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
31. जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक 50 दिनांक 20.01.2020 पथ निर्माण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 447 (S) दिनांक 16.01.2020 एवं पत्रांक 449 (S) दिनांक 16.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धित में निविदा दर की न्यून्तम सीमा को तत्काल समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उदृत दर वाले निविदा के लिये Additional Performance Guarantee को तत्काल प्रभाव से लागु किया गया है।

ह0/–

कार्यपालक अभियंता
सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी

पत्रांक :– इन्द्रपुरी/ दिनांक ....
प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12-02-2024

कार्यपालक अभियंता
सोन बराज प्रमंडल, इन्द्रपुरी